# बिहार विधान-सभा

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

सोमवार; तिथि 29 मार्च, 1982।

## विषय-सूची


| | पृष्ठ |
|---|---|
| स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अस्वीकृत) | 1–2 |
| शून्य-काल की चर्चाएं : | 2 |
| (क) ढाई करोड़ रुपये का पोलिथिन पाइप बेकार | 2 |
| (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम में बिहार की उपेक्षा। | 2 |
| (ग) खानपुर के थाना प्रभारी के प्रति जनता में आक्रोश | 2 |
| (घ) वकीलों को विमान से दिल्ली आने-जाने में घोर कदाचारिता। | 3 |
| (ङ) थाना प्रभारी एवं जमादार द्वारा लोगों की तबाही | 3 |
| (च) पुलिस की मिलीभगत से अग्निकाण्ड .. | 3 |
| (छ) सी० सी० एल० के पदाधिकारियों द्वारा जमीन का हड़प। | 4 |
| (ज) अधिवक्ताओं के प्रति मुख्य मंत्री का आश्वासन | 4 |
| (झ) ऋण वसूली में सरकारी पदाधिकारियों द्वारा अत्याचार। | 5 |
| (ञ) लोक-कल्याण संघर्ष समिति द्वारा धरना | 5 |
| (ट) पुस्तकालय कर्मचारियों का वेतन भुगतान | 5 |
| अत्यावश्यक लोक-महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण : | 6–7 |
| (अ) कार्यपालक अभियन्ता के प्रति दुर्व्यवहार | 6 |
| (ब) अधौरा को अकाल क्षेत्र घोषित करना | 6 |

(झ) ऋण वसूली में सरकारी पदाधिकारियों द्वारा अत्याचार ।

श्री सूरज मंडल--नालन्दा जिला में किसानों से ऋण एवं लगान वसूली में बहुत बड़े पैमाने पर सकारी पदाधिकारी द्वारा अत्याचार किया जा रहा है । गरीब किसानों को तरह-तरह से तंग, परेशान एवं तबाह किया जा रहा है । एक गरीब किसान श्री शिव शंकर गराई ग्राम गोसांईपुर प्रखंड हिलसा जिला नालंदा की दो भैंसा दिनांक 18 फरवरी 1982 को जप्त कर लिया और भैंसा को इतना तकलीफ दिया गया कि दोनो भैंसा सरकारी संरक्षण में दिनांक 24 फरवरी 1982 को मर गया । श्री गरई को जीविका का साधन दोनो भैंस ही था । श्री नवल किशोर सिंह, ग्राम पीलिया थाना एकगंरसराय को रेन्ट वसूली में गिरफ्तार किया गया और बुरी तरह पीटकर जेल भेज दिया गया है । अतः निवेदन है कि सरकार किसानों की सुरक्षा की व्यवस्था करें एवं संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे ।

(ञ) लोक कल्याण संघर्ष समिति द्वारा धरना

श्री राम सिपाही यादव--तिथि 15 मार्च 1982 से लगातार लोक कल्याण संघर्ष समिति मनिहारी आसदाबाद के नेतृत्व में 10-10 की जत्था में ट्रेन तेजनारायणपुर ले जाने के लिए लोग धरना दे रहे हैं जिससे रेलवे अधिकारियों और उस क्षेत्र की जनता के बीच में काफी तनाव पैदा हो गया है इसलिए बिहार सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि वह केन्द्रीय सरकार से अनुरोध कर समस्या का निदान कराने की उचित व्यवस्था करे ।

(ट) पुस्तकालय कर्मचारियों का वेतन भुगतान

श्री निर्मल कुमार बेसरा--विगत दस महीना से रांची जिलान्तर्गत सिमडेगा अनुमण्डलीय पुस्तकालय, सिमडेगा के कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं किया गया है । जबकि सरकार के शिक्षा विभाग के विशेष सचिव के पत्रांक 65, दिनांक 15 फरवरी 1982 द्वारा भुगतान करने का आदेश दिया गया था और यह आदेश श्री करकेट्टा, अनुमंडलीय शिक्षा पदाधिकारी सिमडेगा, रांची को भेजा गया है । वेतन भुगतान नहीं होने से कर्मचारियों के परिवार के समक्ष भूखमरी की स्थिति है अतः सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे गैर जिम्मेदार पदाधिकारी को अविलम्ब मुअत्तल किया जाय, ताकि भविष्य में इस तरह का कार्य न हो सके ।